बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादपत्र को वाद के पैराज के अनुसार डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता/पति के मृत्यु प्रमण पत्र कि छाया प्रति का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में वाद पत्र पर संयोजित किया गया है। पक्षकारान द्वारा मौजा डिडिया कलां के खसरा नम्बर 213, 69 व 742 का बंट चाहा गया है जो कि पक्षकारान कि पुश्तैनी भूमि रहती आई है। पुश्तैनी भूमि में सभी काश्तकार अपने अपने बंट का विभाजन अलग करवा सकते है। वाद के पैरा संख्या 5 के उपपेरा 2 के बिन्दु क, ख में सभी पक्षकार का अलग–अलग बंट अंकित किया गया है एवं उसी अनुसार पक्षकार द्वारा बंट चाहा गया है एवं किसी भी पक्षकार द्वारा इसका विरोध प्रकट नहीं किया गया है। मौजा डिडिया कलां के खेत खसरा नम्बर 213 रकबा 1.3678 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.7042 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 742 रकबा 0.5989 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण को वादी संख्या 1 साथ सहखातेदार कृषक घोषित करते हुए वाद अनुसार वाद को डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी धनसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नम्बर 69 रकबा 0.7042 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 742 रकबा 0.5989 हैक्टेयर रखा खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 क्रमाशः कैलाश, ओंकारसिंह, छैलूकंवर एवं शोभाकंवर के सह हक बंट सह कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां का खेत खसरा नम्बर 213 रकबा 1.3678 हैक्टेयर रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 28.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner